अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

केन्द्रीय कार्यकारी मंडल बैठक, भुवनेश्वर - 28 जून 2018

प्रस्ताव संख्या: 6. **<u>बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या: स्थाई समाधान हेतु आधुनिक ढंग से तारबंदी व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को तीव्र-गति से अध्यतन किया जाए.</u>**

देश की सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। पूरे असम राज्य की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और देश में यदि 6 करोड़ घुसपैठिए हों तो स्थिति की भयावहता को समझा जा सकता है। हमारे जल, जंगल, जमीन, बहू-बेटियाँ, रोज़गार सब इसका शिकार बन रहे हैं। हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। जनता के टैक्स से चलने वाली सारी शासकीय सुविधाओं जैसे राशन, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार आदि का लाभ ये बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठिए उठा रहे हैं जबकि यह लाभ इस देश के किसी गरीब को मिलना चाहिए था। अब तो जहाँ-जहाँ इनकी संख्या बढ़ रही है वहाँ से स्थानीय लोगों का पलायन हो रहा है। इनके इलाके हिंसा, लूट, अन्य गैर-कानूनी व देश विरोधी गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन रहे हैं।

अक्टूबर 2008 में असम के उदालगुड़ी जिले में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा बोड़ो बस्तियों पर किया गया हमला और जुलाई 2012 में असम के कोकराझार में हुए बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों एवं स्थानीय बोड़ो समुदाय के बीच हुआ भीषण सशस्त्र संघर्ष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों की तस्वीर कितनी भयावह हो सकती है। सरकारों ने इस समस्या के पूर्ण एवं स्थायी समाधान के बजाय पीड़ितों को राहत-पुनर्वास और मुआवजे का मरहम देकर इस समस्या को ढकने का प्रयास ही अब तक ज्यादा किया है। **इन बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा की जा रही हिंसा और उनकी धमकियों के कारणों का ईमानदार और वस्तुपरक विश्लेषण नहीं किया गया तो हमें इससे भी भयावह तांडव देखना पड़ेगा।**

हमारे देश में घुसपैठिए कितने हैं, देश की किसी भी एजेंसी के पास यह निश्चित आंकड़ा नहीं है। जनगणना के आंकड़ों में भी वैध नागरिकों एवं घुसपैठिओं, सब के नाम शामिल हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने असम में वैध नागरिकों एवं घुसपैठियों की पहचान के लिए असम नागरिक रजिस्टर [एन.आर.सी. (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स)] को अद्यतन करने का आदेश दिया है। वहां यह कार्य अभी चल रहा है.

<u>वनवासी कल्याण आश्रम केन्द्रीय कार्यकारी मंडल (के.का.म.) केंद्र / असम सरकार से माँग करती है कि वह :</u>

1. बांग्लादेश से लगती हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शीघ्रातिशीघ्र हाई-टेक फेंसिंग पूरी कर घुसपैठ को पूरी तरह से रोके।

2. बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान के लिए असम में चल रहे नागरिकता रजिस्टर के काम को पूर्ण गति, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से पूरा कराए।

3. 30 जून 2018 को असम में नागरिकता रजिस्टर के पहले ड्रॉफ्ट के प्रकाशन के बाद कुछ उपद्रवी तत्त्व देश विरोधी ताकतों के इशारे पर इसके विरोध में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। सरकार से हमारी माँग है कि ऐसे उपद्रवी तत्त्वों से सख्ती से निपटने की पूर्व व पूर्ण तैयारी रखे।

4. असम की तरह ही देश भर में घुसपैठियों की पहचान के लिए केंद्र सरकार एक देश व्यापी अभियान चलाकर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को अध्यतन करवाए। इस कार्य को 2021 में होने वाली जनगणना के समय पूरा करवाया जाए.

5. बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक बातचीत करके भारत में एन.आर.सी. के बाद पहचाने गए गैर-भारतीय धर्मावलम्बी घुसपैठियों को वापस लेने के लिए समुचित कदम उठाए जाएँ।

6. देश में अभी तक घुसपैठ विरोधी कोई कठोर कानून नहीं है, भारत सरकार को चाहिए कि वह देश में घुसपैठ विरोधी एक कठोर कानून बनाए, जिसमें घुसपैठ करने वाले, घुसपैठ कराने वाले, घुसपैठियों को बिना किसी साक्ष्य के पहचान संबंधी दस्तावेज जारी करने वाले एवं घुसपैठियों को आश्रय व रोजगार देने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो।

7. पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक, जो धार्मिक उत्पीड़न को झेलते हुए हमारे देश में आ रहे हैं, उनके मामलों पर सरकार को एक देशव्यापी रणनीति व व्यवस्था बनानी होगी जिससे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हिन्दुओं सहित पड़ोसी देशों के भारतीय धर्मावलम्बी-अल्पसंख्यकों का इस देश में व्यवस्थित पुनर्वसन, उनको शरणार्थी का दर्ज़ा व कालांतर में उनको भारतीय नागरिकता सुनिश्चित की जा सके।

भारत ऐसे उत्पीडित लोगों की तरफ से आँखें नहीं फेर सकता। ऐसे लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक व रणनीतिक रूप से विचार कर आवश्यक हो तो उन्हें एकाधिक प्रान्तों में बसाया जा सकता है, परन्तु देश के संविधान की पांचवी व छठी अनुसूची के क्षेत्रों में इन्हें नहीं बसाया जाए ताकि वहां का जनजातियों के पक्ष का जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने से बचाया जा सके जोकि अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने का संवैधानिक आधार है.

के.का.मं. असम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के नागरिकों तथा स्वायत्तशासी एवं जनजातियों की परंपरागत संस्थाओं का भी आह्वान करती है कि वे दूरगामी सकारात्मक प्रभाव डालने वाले राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अद्यतन करने वाले इस अभियान में सक्रियतापूर्वक सहयोग करें. इससे न केवल बंगलादेशी मुस्लिम घुसपेठियों के निष्कासन की दशकों पुरानी उनकी मांग पूरी होगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे से भी देश बच सकेगा.

वनवासी कल्याण आश्रम सभी देशवासियों का भी आह्वान करता है कि वे देश में घुस आए बांग्लादेशी घुसपैठियों से सतर्क रहें व उन्हें कम मजदूरी के लालच में आश्रय या रोजगार नहीं दें, ऐसा कर वे जाने-अनजाने राष्ट्रविरोधी कार्य को बढ़ावा ही देंगे।

वनवासी कल्याण आश्रम देश भर के सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों का भी आह्वान करती है कि वे भारत सरकार से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अद्यतन करने की माँग करें और एन.आर.सी. के बारे में देश व्यापी जन जागरण अभियान चलाएँ।

कल्याण आश्रम का केन्द्रीय कार्यकारी मंडल देश भर के अपने कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करती है कि वे इस कार्य को गति देने और इसे सफल बनाने में सभी आवश्यक प्रयास करें.

ॐ